प्रेस नोट
दिनांक 16.07.2026, थाना छपिया,
जनपद गोण्डा।

थाना छपिया पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नरायन पालिवाल के नेतृत्व में थाना छपिया पर पंजीकृत मु0अ0स0 274/2026, धारा 331(4), 305(A) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त 01. भूमि उर्फ भोला उर्फ वीरेन्द्र पासवान पुत्र फेकू पासवान निवासी ग्राम बभनीखास थाना छपिया जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी अजय तिवारी पुत्र श्री श्याम जी तिवारी निवासी ग्राम वार्ड न0-03 नगर पंचायत बभनान थाना गौर जनपद बस्ती द्वारा थाना छपिया पर लिखित सूचना दिया कि वह बभनान चीनी मील में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। दिनांक 05.07.2026 की रात्रि में चीनी मिल बभनान के अन्दर गेट के पास बने कमले का ताला तोड़कर अन्दर घुसकर तार एवं लोहे की चकरी चोरी कर रहे थे। तभी उन्हे का पकड़ने का प्रयास किया गया तो 02 लोग धक्का देकर भाग गये तथा एक व्यक्ति को उसके द्वारा पकड़ लिया गया था। वादी के तहरीर के आधार पर पर थाना छपिया पर मु0अ0स0 274/26, धारा 331(4), 305(A) बीएनएस बनाम आकाश चौहान आदि 02 नफर अभियुक्तो के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया ।

आज दिनांक 16.07.2026 को विवेचना के दौरान पाए गए दोषी आरोपी अभियुक्त 01. भूमि उर्फ भोला उर्फ वीरेन्द्र पासवान पुत्र फेकू पासवान निवासी ग्राम बभनीखास थाना छपिया जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. भूमि उर्फ भोला उर्फ वीरेन्द्र पासवान पुत्र फेकू पासवान निवासी ग्राम बभनीखास थाना छपिया जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग

01. मु0अ0स0 274/26, धारा 331(4), 305(A) बीएनएस, थाना छपिया, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 घनश्याम वर्मा
02. अवनीश यादव
03. का0 सुजीत यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।